



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, बहस्पतिवार, जून 24, 1993/आषाढ़ 3, 1915  
No. 218] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 1993/ASADHA 3, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1993

सं. क. नि. 477(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा  
24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में  
और आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1.(i) इन नियमों का नाम पासपोर्ट (तृतीय संशोधन) नियम, 1993 है।
- (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 की अनुसूची II में शीर्ष "भाग I—पासपोर्ट" के अन्तर्गत मद (i) (ग) में कालम-2 में "6. राजनयिक पासपोर्ट" के सामने की प्रविष्टियों में निम्नलिखित शब्दों के लिए—

"उपरिलिखित (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारी के सरकारी अतिथि की पत्नी अथवा पति, जैसा भी मामला हो; 24 वर्ष से कम आयु के आश्रित पुत्र और आश्रित और विवाहित पुत्रियों, आश्रित पिता और आश्रित माता उनके साथ यात्रा करते समय अथवा उक्त अधिकारी के पास उसके विदेश स्थित केन्द्र पर पहुंचने के समय", निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

"उपरिलिखित (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारी के सरकारी अतिथि की पत्नी अथवा पति, जैसा भी मामला हो, आश्रित पुत्र, आश्रित अविवाहित, अलग रह रही तलाकशुदा अथवा विधवा पुत्री, आश्रित माता-पिता उक्त अधिकारी के साथ यात्रा करते समय अथवा उक्त अधिकारी के पास उसके विदेश स्थित केन्द्र पर पहुंचने के समय, आश्रित की हैसियत की शर्त के साथ-संज्ञालय द्वारा मान्यता दी जा रही है।"

[सं. VII/401/8/89]

एल.के. पोनप्पा, संयुक्त सचिव (सी. पी. वी.)

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 1993

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1967, namely :—

1. (i) These rules may be called Passport (Third Amendment) Rules, 1993.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In schedule II to the Passport Rules, 1967, under the heading "Part I- Passports", in the entries against "6. Diplomatic Passports", in Column 2 in item (i) (c) for the words —

"wife or official hostess or husband, as the case may be, dependent sons under 24 years and dependent unmarried daughters, dependent

father and dependent mother of an officer referred to in (a) and (b) above, when travelling with or joining such officer at his post abroad”,

the words

“wife or official hostess or husband, as the case may be, dependent son, dependent unmarried, separated, divorced or widowed daughter, dependent parents of an officer referred to in (a) and (b) above when travelling with or joining such officer at his post abroad, on condition of dependent status being recognised by the Ministry”, shall be substituted.

[No. VII|401|8|89]

L. K. PONAPPA, Jt. Secy. (CPV)

